

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/1961 /

जबलपुर, दिनांक 11 / 03 / 2024

श्री आयुष राय, जूनियर ज्यूडिशियल ट्रांसलेटर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के आवेदन पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये उन्हें "डॉ हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर से एल.एल.एम द्वि-वर्षीय पाठ्यक्रम के तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में अध्ययन नहीं करेंगे तथा शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा यदि अपने कर्तव्यस्थल पर अनुपस्थित पाये गये अथवा अध्ययनरत पाये गये तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
& रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक A/1962 /

जबलपुर, दिनांक 11 / 03 / 2024

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा / कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. डिप्टी रजिस्ट्रार(एम) प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.) (स्था.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. श्री आयुष राय, जूनियर ज्यूडिशियल ट्रांसलेटर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(सजय कुमार सिंह)
& रजिस्ट्रार (प्रशासन)